संख्या-98/2026/1669/2026-5-6099/178/2026

प्रेषक,

रवि रंजन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 29 अक्टूबर, 2026**

विषयः- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत आवश्यक गतिविधियों हेतु अनुपूरक राज्य बजट वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वीकृत धनराशि से बजट आवंटित (नवीन एवं रिवैलिडेशन/कमिटेड किये जाने हेतु कार्यक्रमवार बजट आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-17फ/नि0ब0/2026-27/114, दिनांक 25.09.2026, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत आवश्यक गतिविधियों हेतु अनुपूरक राज्य बजट वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक राज्य बजट में अनुदान संख्या-32, लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी, 200-अन्य स्वास्थ्य सेवायें, 04-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य पोषित गतिविधियाँ, मानक मद-42 अन्य व्यय में धनराशि रू0 90000.00 लाख (रूपये नौ अरब मात्र) में से कैशलेस योजना हेतु उपलब्ध धनराशि रू0 2900.00 लाख (रूपये उनतीस करोड मात्र) को घटाते हुये धनराशि रू0 87100.00 लाख (रूपये आठ अरब इकहत्तर करोड मात्र) को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।

(2) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।

(3) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(4) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) किसी भी वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 का होगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,71,00,00,000 (रुपये आठ अरब इकहत्तर करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 032 लेखा शीर्षक 2210012000400 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य पोषित गतिविधियां मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रवि रंजन
विशेष सचिव।

संख्या-98/2026/1669(1)/001-5-6090-178-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेशप्रयागराज।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. निदेशक (प्रशासन/चिकित्सा उपचार/नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. अपर निदेशक (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1/5/7, उत्तर प्रदेश शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द प्रकाश
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।